न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी ।

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 13 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. स्व0 श्री मानसिंह पुत्र श्री पुनमसिंह के वारिसानः—		01.स्व0 श्री रावतसिंह पुत्र श्री पुनमसिंह के वारिसानः—
01/01.उगिया कंवर पत्नि स्व0 श्री मानसिंह		01/01. भगवानसिंह पुत्र स्व0 श्री रावतसिंह
01/02.हेमसिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह		01/02. कानसिंह पुत्र स्व0 श्री रावतसिंह
01/03.जब्बरसिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह		01/03. प्रेमसिंह पुत्र स्व0 श्री रावतसिंह
01/04.गुलाबसिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह		01/04. किशोरसिंह पुत्र स्व0 श्री रावतसिंह
01/05.मोहनसिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह		जातियान राजपुरोहित निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
01/06.पद्मसिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह		01/05. स्व0 श्री रूगनाथसिंह पुत्र स्व0 श्री रावतसिंह के वारिसानः—
01/07.महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह		01/05/01. दरिया पुत्री स्व0 श्री रूगनाथसिंह पत्नि श्री सोहनसिंह, जाति राजपुरोहित निवासी राजपुरोहित छात्रावास के पास, विवेकविहार, बांगड़ कॉलेज, पाली ।
01/08.सायरकंवर पुत्री स्व0 श्री मानसिंह		01/05/02. सुन्दर कंवर पत्नि श्री रूगनाथसिंह
01/09.कमलाकंवर पुत्री स्व0 श्री मानसिंह		01/05/03. स्व0 श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री रूगनाथसिंह के वारिसानः—
सभी जातियान राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01/05/03/01.भगवती कंवर पत्नि स्व0 श्री ओमप्रकाश
		01/05/03/02.सौरभसिंह पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश
		01/05/03/03.करणसिंह पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश
		01/05/03/04.कोमलकंवर पुत्री स्व0 श्री ओमप्रकाश
		जतियान राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
		01/06. स्व0 मनोहरकंवर पुत्री स्व0 श्री रावतसिंह पत्नि श्री जयसिंह के वारिसानः—
		01/06/01.जयसिंह पुत्र श्री स्वरूपसिंह
		01/06/02.गणपतसिंह पुत्र श्री जयसिंह एवं मनोहरकंवर
		01/06/03.जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री जयसिंह एवं मनोहरकंवर
		जातियान राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम बिटटु मोरिया, तहसील रोहिट, जिला पाली ।
		01/06/04.गुडडी कंवर पुत्री श्री जयसिंह एवं मनोहरकंवर पत्नि श्री वेनसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी भासुन्दा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली ।
		01/06/05.उर्मिला कंवर पुत्री श्री जयसिंह एवं मनोहरकंवर पत्नि श्री जब्बरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम बुस्सी, तहसील रानी फालना, जिला पाली

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

02.स्व0 श्री हरिसिंह पुत्र श्री पुनमसिंह के वारिसानः–

02/01. स्व0 श्री खींवसिंह पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह के वारिसानः–

02/01/01.ओमसिंह पुत्र स्व0 श्री खींवसिंह

02/01/02.राजकुमार पुत्र स्व0 श्री खींवसिंह

02/01/03.छगनसिंह पुत्र स्व0 श्री खींवसिंह

02/01/04.गोपालसिंह पुत्र स्व0 श्री खींवसिंह

02/02. स्व0 श्री अचलसिंह पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह के वारिसानः–

02/02/01.संतोष कंवर पत्नि स्व0 श्री अचलसिंह

02/02/02.प्रभुसिंह पुत्र स्व0 श्री अचलसिंह

02/02/03.रणजीतसिंह पुत्र स्व0 श्री अचलसिंह

जातियान राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

02/02/04.सरोज कंवर पुत्री स्व0 श्री अचलसिंह पत्नि श्री सुखसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी कनोडिया पुरोहितान, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर ।

02/02/05.रूकमणी कंवर पुत्री स्व0 श्री अचलसिंह पत्नि श्री श्रवणसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी बिटटु मोरिया, तहसील रोहिट, जिला पाली ।

03.स्व0 श्री नारायणसिंह पुत्र श्री पुनमसिंह के वारिसानः–

03/01.रामसिंह पुत्र स्व0 नारायणसिंह

जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

03/02.मकूकंवर पुत्री स्व0 नारायणसिंह पत्नि श्री नारायणसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम बड़ली, तहसील व जिला जोधपुर ।

03/03.स्व0 श्री भंवरसिंह पुत्र स्व0 नारायणसिंह के वारिसानः–

03/03/01.दाकू पत्नि स्व0 भंवरसिंह

03/03/02.भीवसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह

जातियान राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

03/03/03. स्व0 प्रेमसिंह पुत्र स्व0 श्री भंवरसिंह के वारिसानः–

03/03/03/01.आसुदेवी पत्नि स्व0 श्री प्रेमसिंह

03/03/03/02.शैतानसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रेमसिंह

जातियान राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

03/03/04.फूलीकंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह पत्नि श्री सुल्तानसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी बावड़ी, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर ।

03/03/05.बिदामीकंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह पत्नि श्री

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

Scanned by CamScanner

बेरीसालसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम करनीयाली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

03/03/06.लीलाकंवर पुत्री स्व0 भंवरसिंह पत्नि श्री कानसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी सिनला, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली ।

03/04. स्व0 भाखरसिंह पुत्र स्व0 श्री नारायणसिंह के वारिसानः—

03/04/01.रामकंवर पत्नि स्व0 श्री भाखरसिंह

03/04/02.शंकरसिंह पुत्र स्व0 श्री भाखरसिंह

03/04/03.हीरसिंह पुत्र स्व0 श्री भाखरसिंह

जातियान राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

03/04/04.कैलाश कंवर पुत्री स्व0 भाखरसिंह पत्नि श्री राणसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी करनीयाली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

03/04/05.फूलीकंवर पुत्री स्व0 श्री भाखरसिंह पत्नि श्री डूंगरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी करनीयाली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

03/04/06.लाडूकंवर पुत्री स्व0 श्री भाखरसिंह पत्नि श्री रेवतसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी हलियां, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर

04.स्व0 श्री जवारसिंह पुत्र स्व0 श्री पुनमसिंह के वारिसानः—

04/01. छोगसिंह पुत्र स्व0 श्री जवारसिंह

04/02. तेजसिंह पुत्र स्व0 श्री जवारसिंह

04/03. श्रवणसिंह पुत्र स्व0 श्री जवारसिंह·

जातियान राजपुरोहित, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

05.स्व0 श्री आसुसिंह पुत्र स्व0 श्री पुनमसिंह के वारिसानः—

05/01. बाबुसिंह पुत्र स्व0 श्री आसुसिंह

05/02. वालूसिंह पुत्र स्व0 श्री आसुसिंह

05/03. देवीसिंह पुत्र स्व0 श्री आसुसिंह

05/04. कल्याणसिंह पुत्र स्व0 श्री आसुसिंह

जातियान राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

05/05. कमलाकंवर पुत्री स्व0 श्री आसुसिंह पत्नि श्री रामसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी राजपुरोहितों का बास, रेल्वे स्टेशन के पास, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली ।

05/06. पारूकंवर पुत्री स्व0 श्री आसुसिंह पत्नि श्री ओमसिंह, जाति राजपुरोति, निवासी लोरड़ी पण्डितजी, तहसील व जिला जोधपुर ।

05/07. स्व0 श्री सोहनसिंह उर्फ मोहनसिंह पुत्र स्व0 श्री आसुसिंह के वारिसानः—

Scanned by CamScanner

		05/07/01.सुखादेवी पत्नि स्व0 सोहनसिंह उर्फ सोहनसिंह 05/07/02.राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री सोहनसिंह उर्फ सोहनसिंह 05/07/03.पदमसिंह पुत्र स्व0 श्री सोहनसिंह उर्फ सोहनसिंह 05/07/04.वचनसिंह पुत्र स्व0 श्री सोहनसिंह उर्फ सोहनसिंह 05/07/05.गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री सोहनसिंह उर्फ सोहनसिंह जातियान राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। 05/07/06.रूकमाकंवर पुत्री स्व0 श्री सोहनसिंह उर्फ सोहनसिंह पत्नि श्री नरपतसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी बोडाना, तहसील नोख, जिला जैसलमेर । 06.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी । 07.उपपंजीय लूणी, जिला जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

अधिवक्तागणः –

1. प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित ।
2. अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री जोगसिंह भाटी उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :– 2/8/2022

पत्रावली में बहस सुनी गयी । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या एक ता पांच स्व0 पुनमजी के वारिसान हैं । पुनम जी के कुल सात पुत्र हुए जो कमशः रावतसिंह, हरिसिंह, नारायणसिंह, जवारसिंह, आसुसिंह, मानसिंह व बख्तावरसिंह हैं । बख्तावरसिंह शादीसुदा थे लेकिन उनके वैवाहिक जीवन से कोई औलाद नहीं हुई थी वे दोनो पति पत्नि लाऔलाद ही फौत हो गये एवं उन्होने अपने जीवनकाल में किसी को भी गोद नहीं लिया । पुनमजी के शेष जो पुत्रगण हैं उन सभी का भी स्वर्गवास हो गया हैं । प्रार्थीगण स्व0 मानसिंह के वारिसान हैं तथा अप्रार्थीगण संख्या एक ता पांच रावतसिंह, हरिसिंह, नारायणसिंह, जवारसिंह, व आसुसिंह के वारिसान हैं । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमियां वाके राजस्व ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में खसरा संख्या 29 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 816 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा आयी हुई स्थित हैं जिन्हें आगे इस प्रार्थना पत्र में यथाआवश्यक विवादग्रस्त कृषि भूमियों के नाम से सम्बोधित किया जावेंगा । उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व0 पूनमजी काश्त करते थें तथा पुनमजी के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या एक ता पांच द्वारा उक्त दोनो खसरान की कृषि भूमियों पर काश्त की जाती रही हैं जो कि वर्तमान तक भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों पर काबिज हैं तथा काश्त करते हैं । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज पूनमाजी के नाम का इन्द्राज गिरदावरी सम्वत् 2008 से 2011 में बकायदा इन्द्राज किया हुआ हैं तथा उनके पश्चात उनका स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके स्थान पर रावत ने, हरीया ने, नारायण ने, जवारीया ने, मानीया ने, आसीया बेटा पुनम रा, के नाम की गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2017 में दर्ज की गयी । गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2017 के आधार पर उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों पर काबिज अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी तैयार की गयी लेकिन प्रार्थीगण के पिता मानसिंह का नाम उक्त जमाबन्दी से राजस्व कर्मचारियों ने विलुप्त कर दिया गया तथा केवल मात्र रावत, हरजी, नारायण, आसु व जवार पुत्र पुनम का नाम का ही इन्द्राज कर दिया जो कि गलत दर्ज किये गये हैं तथा उनके साथ साथ प्रार्थीगण के पिता मानसिंह का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिये था । प्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं होने का अप्रार्थीगण ने नाजायज फायदा उठाते हुए

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

Scanned by CamScanner

दिनांक 02.01.2020 को अजनबी व्यक्तियों को उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियां बेचान करने हेतु मौके पर दिखाने लगे तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को मना किया कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों का पहले अपने अपने 1/6–1/6 हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर लिया जावें तथा जो भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हिस्से में बंटवाड़ा अनुसार आये उसका ही बेचान किया जावें लेकिन अप्रार्थीगण ने एकराय होकर ऐलानियां धमकी दी कि तुम्हारा नाम तो जमाबन्दी में दर्ज ही नहीं हैं इसलिये तुम्हें इन खसरों को लेकर किसी प्रकार की कोई पंचायती करने की आवश्यकता नही हैं हम हमारी मर्जी अनुसार हीं उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों का बेचान करेंगे तथा सीधी तरीके से अपना कब्जा भी हटा लेना अन्यथा जो खरीददार होंगे वो अपने धनबल तथा बाहुबल से तुम्हे वहां से हटा भी लेंगे । अप्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार की धमकियां देने पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकलें तथा पुराने राजस्व रेकर्ड की नकलें निकलवाई तो उनको देखकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में प्रार्थीगण का नाम उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों में दर्ज ही नहीं हैं लेकिन पुरानी जो गिरदावरीयां हैं उनमें अवश्य ही प्रार्थीगण के पूर्वज पूनम तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात रावतसिंह, हरिसिंह, नारायणसिंह, जवारसिंह, आसुसिंह तथा मानसिंह का नाम दर्ज हैं लेकिन उक्त गिरदावरीयों के आधार पर राजस्व कर्मचारीयों ने त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता मानसिंह का नाम ही दर्ज नहीं किया । उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों में प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा हैं तथा अप्रार्थीगंण संख्या एक से पांच प्रत्येक का भी 1/6 हिस्सा हैं तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सभी अपने अपने हिस्से अनुसार उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों पर काश्त करते हैं तथा वर्तमान तक भी काबिज हैं । अब अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ जाने के कारण वे उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों को बेचान करने पर आमादा हैं जबकि उक्त विवादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमियों को बेचान करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं हैं । प्रार्थीगण को उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों में अपने 1/6 हिस्से की घोषणा खातेदारी करवाने तथा अपने 1/6 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाकर राजस्व नक्शें में अलग से तरमीम करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा हैं अन्यथा अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत इन्द्राजों के आधार पर सम्पूर्ण विवादग्रस्त कृषि भूमियों का बेचान कर देंगे । अप्रार्थीगण की हरकतों को देखते हुए अब प्रार्थीगण को पूर्ण अंदेशा हो गया हैं कि वे प्रार्थीगण की कब्जा काश्त सुदा भूमि कभी भी मौका पाकर बेचान कर सकते हैं एवं उक्त कृषि भूमि पर अजनबी व्यक्तियों को काबिज भी करवा सकते हैं एवं उक्त कृषि भूमियों पर निर्माण करने की नियत से खुर्द बुर्द भी कर सकते हैं एवं प्रार्थीगण को बेदखल भी कर सकते हैं यदि वे ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण का वाद पेश करने का उद्धेश्य ही निष्फल हो जायेगा तथा प्रार्थीगण को अपार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी तथा यदि उनके द्वारा आगे अन्य व्यक्तियों को बेचान हस्तान्तरण बिना कब्जे के ही कर दिया जावेंगा तो वाद की बहूलता होगी तथा निर्णय करने में कठिनाईयां आवेंगी । प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं मामले के हालात को देखते हुए न्यायहित में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना जरूरी हैं । प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में वाद पेश किया हैं जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा हैं । अंत में निवेदन किया गया–अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावें ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में स्थित खसरा संख्या 29 कुल रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 816 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरें दो कुल रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा को किसी प्रकार से बेचान हस्तान्तरण नहीं करें तथा न ही न ही प्रार्थीगण को बेदखल करें तथा न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करें तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखी जावें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता जोगसिंह भाटी ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थीगण की तरफ से जवाब भी पेश किया । प्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थीगंण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यों का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया इसके विपरित अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न गिरदावरी सम्वत् 2008 से 2011 में वर्णित खसरा संख्या 816 के संबंध में सम्वत् 2010 में काश्त पूनम दर्ज हैं एवं इसी प्रकार से गिरदावरी सम्वत् 2008 से 2011 में वर्णित खसरा संख्या 29 के सम्बंध में भी सम्वत् 2010 में काश्त पूनम दर्ज हैं । दोनो पक्षों द्वारा अपनी बहस में यही बताया गया कि पूनमजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज थे । ऐसी स्थिति में यह तो प्रमाणित होता हैं कि उक्त दोनो खसरान की कृषि भूमियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमियां हैं। इसके पश्चात की गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2017 में काश्त रावत ने, हरीया ने, नारायण ने, जवारीया ने, मानीया ने, आशिया बेटा पुनम रा दर्ज हैं । जिरासे भी यह साबित होता हैं कि प्रार्थीगण के पिता मानसिंह का उक्त खरारान की कृषि भूमियों पर कब्जा काश्त था लेकिन जमाबन्दी में त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता मानसिंह का नाम दर्ज नहीं होना प्रतीत होता हैं केवल मात्र अप्रार्थीगण के पूर्वज रावत, हरजी, नारायण, आरू, ज्वारा पिता पूनम ही दर्ज किया गया जबकि उक्त दोनो खरारान की कृषि भूमियों पर सेटलमेन्ट से पूर्व ही सम्वत् 2010 से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज पूनम का काश्त रहा एवं इसके बाद सम्वत् 2017 तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज रावत ने, हरीया ने, नारायण ने, जवारीया ने, मानीया ने, आशिया बेटा पुनम का कब्जा काश्त प्रमाणित हैं एवं प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्तमान में भी कब्जा काश्त होना बताया हैं जो कि पूर्व के राजस्व रेकर्ड से भी प्रमाणित होता हैं । चूंकी प्रार्थीगण द्वारा उक्त दोनो खसरान की कृषि भूमियों में अपने हिस्से के संबंध में बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया हैं जिसका निस्तारण होना अभी शेष हैं ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा यदि उक्त दोनो खसरान की कृषि भूमियों का बेचान कर दिया जावेंगा अथवा प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जावेंगा अथवा खुर्द बुर्द कर दिया जावेंगा तो वाद बाहुल्य होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता हैं तथा यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना हैं । इन तीनो बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही दिनांक 03.03.2020 को प्रार्थीगण के हक में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी जो सही हैं जिसको वाद के अंतिम निस्तारण तक जारी की जानी न्यायोचित प्रतीत होती हैं ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता हैं कि वे ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 816 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा व खसरा संख्या 29 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा कुल खसरें दो कुल रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखें तथा किसी विशेष भू भाग का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें एवं न ही उक्त दोनो खसरान की कृषि भूमियों को खुर्द बुर्द इत्यादी नही करें। आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner